

विश्व जल दिवस, 2024

यह एडटिरियल 22/03/2024 को 'द हंड्री' में प्रकाशित ["Water, an instrument to build world peace"](#) लेख पर आधारित है। इसमें जल सुरक्षा की वृद्धि, संवहनीय कृषि अभ्यास और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के परिप्रेक्ष्य में विश्व जल दिवस 2024 पर चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

विश्व जल सप्ताह, जल जीवन मशिन, तवरति ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, पंचायती राज संस्थान, हर घर जल कार्यक्रम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र, सतत विकास, जल सम्मेलन, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मशिन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना।

मेन्स के लिये:

वैश्विक जल स्तर में कमी से संबंधित मुद्दे तथा चुनौतियों से निपटने हेतु उठाए गए कदम।

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला [विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र](#) द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल है जो वर्ष 1993 से मनाया जा रहा है। इस दिवस के बहाने विभिन्न केंद्रीय विषयों या थीम के साथ मीठे जल के महत्व के बारे में हतिधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि ज्ञात है, एक समय था जब कुओं, तालाबों, नालों, नदियों और अन्य जल स्रोतों में साफ जल उपलब्ध होता था, लेकिन अब स्थिति व्यापक रूप से बदल गई है। मात्रा या गुणवत्ता के संबंध में जल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हुई है, जो जल की कमी या जल संकट के रूप में प्रकट होती है।

जल इतिहास के हर खंड में कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं—जैसे सधि, नील, दज़ला और फरात नदी के आसपास विकसित हुई सभ्यताएँ—के लिये एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। यह भी सच है कि इन सभ्यताओं में जल संसाधन के कारण संघर्ष भी उत्पन्न हुए, जैसे कमिसोपोटामिया के लगश और उम्मा शहरों के बीच तनाव का स्पष्ट लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यह संघर्ष, जो मानव इतिहास के सबसे पुराने ज्ञात युद्धों में से एक है, भूमि और जल संसाधनों के एक उत्तर खंड के आसपास केंद्रित था।

नोट

- 22 मार्च 2024 को 31वाँ विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका थीम था-'शांति के लिये जल का लाभ उठाना' (**Leveraging water for peace**)। उल्लेखनीय है कि 'विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम' (World Water Assessment Programme) के तहत यूनेस्को ने समृद्धि और शांति के लिये जल' (**Water for Prosperity and Peace**) शीर्षक विश्व जल विकास रणनीति के वर्ष 2024 के संस्करण के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। यह [रणनीति यूएन-वाटर \(UN Water\)](#) के एक भाग के रूप में तैयार की जाती है जो 35 यूएन निकायों के साथ ही 48 अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का जल एवं स्वच्छता पर एक इंटर-एजेंसी समन्वय तंत्र है।

विश्व जल दिवस (World Water Day) क्या है?

- लक्ष्य: यह दिवस '[सतत विकास](#) लक्ष्य 6 : वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल एवं स्वच्छता' की प्राप्ति को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है।
- केंद्रीय विषय या थीम: वर्ष 2024 का थीम गई- 'शांति के लिये जल' (**Water for Peace**)
- पृष्ठभूमि:

- इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार वर्ष 1992 में सामने आया, जिस वर्ष रियो डी जनेरियो में प्रयावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- उसी वर्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अंगीकृत किया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे वर्ष 1993 से मनाया जाना था।
- बाद में, इसके साथ अन्य उत्सव और कार्यक्रम जोड़े गए। उदाहरण के लिये, जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 और

■ महत्व:

- इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को जल से संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानने और बदलाव लाने के लिये कार्रवाई करने हेतु प्रेरणा देना है।
- जबकि जल पृथ्वी के लगभग 70% हस्तियों को कवर करता है, मीठे जल की मात्रा मात्रा 3% है, जिसमें से दो-तिहाई जमे हुए रूप में या दुरुगम और उपयोग के लिये अनुपलब्ध हैं।
- ऐसे प्रयास इस बात की पुष्टी करते हैं कि जल एवं स्वच्छता संबंधी उपाय गरीबी में कमी लाने, आर्थिक विकास और प्रायावरणीय संवहनीयता के लिये महत्वपूर्ण हैं।



कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस:

- 22 अप्रैल: [पृथ्वी दिवस \(Earth Day\)](#)
- 22 मई: [विश्व जैव विविधता दिवस \(World Biodiversity Day\)](#)

भारत में विद्यमान जल संकट के विभिन्न पहलू क्या हैं?

- जल संकट के बहुआयामी अर्थ:
 - जल संकट को भौतिक या आर्थिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, असंवहनीय कृषि पद्धतियों, जलवायु परिवर्तन, अपरत्याशति वर्षा पैटर्न, अत्यधिक जल उपयोग सहित कई कारकों से उत्पन्न होता है।
 - इनके अलावा, अकुशल जल प्रबंधन, प्रदूषण, अपर्याप्त अवसंरचना, हतिधारकों की भागीदारी की कमी और भारी वर्षा, मृदा के कटाव एवं तलछट के नियमानुसार से बढ़ा हुआ अपवाह भी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। जल की कमी पारस्थितिकी तंत्र के कारणों को बाधित करती है, खाद्य एवं जल सुरक्षा को खतरे में डालती है और अंततः शांतिको प्रभावित करती है।
- जल तनाव (water stress) के मुद्दे:
 - विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) के अनुसार, 17 देश जल तनाव के 'अत्यंत उच्च' स्तर का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों के बीच संघर्ष, असंतोष और शांतिका खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है।
 - भारत में जल की उपलब्धता पहले से ही इतनी कम है कि इसे जल संकट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि अनुमान किया जाता है इसमें और कमी आएगी और यह घटकर वर्ष 2025 तक 1341 घनमीटर तथा वर्ष 2050 तक 1140 घन मीटर रह जाएगा। इसके अलावा, कुल जल निकासी (भूजल या सतह जल से) का 72% कृषि, 16% नगरपालिकाओं द्वारा घरों एवं सेवाओं के लिये और 12% उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- भूजल स्तर में गिरावट:
 - भारत के लगभग प्रत्येक राज्य और मुख्य शहरों में भूजल स्तर में कमी आ रही है। बैंगलुरु इसका प्रमुख उदाहरण है। पंजाब, राजस्थान, दलिली और हरयाणा में भूजल उपयोग एवं उपलब्धता का अनुपात क्रमशः 172%, 137%, 137% और 133% है, जो चत्तिजनक है।
 - इसके विपरीत, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह क्रमशः 77%, 74%, 67%, 57%, और 53% है। अधिकांश बारहमासी नदियों/धाराओं के परवाह में कमी आई है या वे सूख गई हैं। अप्रैल-मई माह के बाद अधिकांश क्षेत्रों में पेय और अन्य उपयोग के लिये जल की उपलब्धता कम हो जाती है।
- जलाशयों और आरद्रभूमियों में गाद जमा होना:
 - भारत के पहाड़ी इलाकों में झारने लगभग सूख चुके हैं। भारत में जल निकायों की कुल संख्या 5,56,601 है जिनकी संचार्या क्षमता 62,71,180 हेक्टेयर है। लेकिन, जलग्रहण उपचार उपायों की कमी या अनुचर्ता, अकुशल डिज़ाइन एवं जल निकायों के खराब रखरखाव के कारण, अधिकांश जलाशयों/जल निकायों/आरद्रभूमियों में गाद जमा हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी भंडारण क्षमता एवं प्रभावकारी घट गई है।

- एक संसाधन के रूप में जल का कुप्रबंधन:
 - अधिकांश क्षेत्रों में ट्यूबवेल घनत्व और नेटवर्क में वृद्धि हुई है। भूजल पुनर्भरण की तुलना में भूजल निविहन अब अधिक हो गया है। सीवरेज जल और अन्य स्रोतों के गंदे जल को जल निकायों और नदियों में छोड़े जाने से जल की गुणवत्ता में गरिवट आ रही है।
 - उपयुक्त सतही जल एवं भूजल प्रबंधन का अभाव है। भारत में वर्षा-सचिति क्षेत्र, जिसमें 48% से अधिक भूमि शामिल है, सकल कृषिउत्पाद के लगभग 45% का उत्पादन करते हैं।
- घरेलू और कृषिक्षेत्रों में सुव्यवस्थित दृष्टिकोण का अभाव:
 - परधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना (PMKSY), वाटरशेड प्रबंधन, मशिन अमत सरोवर और जल शक्ति अभियान जैसे वभिन्न कार्यकरमों के तहत 'परत्बुंद अधिक फसल', 'गाँव का जल गाँव में', 'खेत का जल खेत में', 'हर मेड पर पेड़' पर सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है जहाँ जल के घरेलू एवं उपयोगों के संबंध में एक साइलो दृष्टिकोण (siloed approach) अपनाया गया है।
 - इस परिविश्य में, वभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक एवं समकालिक स्थानीय हस्तक्षेप को अपनाना अनिवार्य है जो जल के उपयोग एवं संरक्षण के सभी पहलुओं पर समान बल देता है।
- मौसम संबंधी चरम स्थितियों का अनुभव:
 - वर्तमान में वशिव अनगिनत मौसम संबंधी चरम स्थितियों का भी सामना कर रहा है जिसमें तीव्र गरीष्म लहरों से लेकर प्रचंड बाढ़ तक शामिल हैं, जो जलवायु संकट के साथ-साथ जल असुरक्षा पर इसके नरितर परभाव के बारे में चिंताओं की वृद्धि करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, भारत में पछिले कुछ वर्षों में मानसून अनियमित हो गया है और कृषि के लिये (जो भारत की 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अरथव्यवस्था के केंद्र में है) बड़ी अनिश्चितिताओं का कारण बना है।
- जल भेदभाव में विद्यमान मुद्दे:
 - साफ जल तक पहुँच के मामले में आयु और लगि भेदभाव के सबसे प्रमुख कारण हैं। महलिएँ और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित आबादी हैं। वस्तुतः गंदे जल के कारण बच्चे बीमारियों की चपेट में अधिक आते हैं।
 - जल भेदभाव के अन्य कारणों में मूलवंश, जातीयता, धर्म, जन्म, जाति, भाषा और राष्ट्रियता शामिल हैं। कुछ लोग निश्चक्तता, आयु, स्वास्थ्य और आरथिक एवं सामाजिक स्थितिके कारण विशेष रूप से वंचना के शकिर होते हैं।
 - प्रयावरणीय क्षरण, जलवायु परवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, संघर्ष, बलपूरवक वसिथापन एवं प्रवासन भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण समाज के हाशमि पर स्थिति समूह अधिक पीड़ित हैं।
- जलग्रहण क्षेत्रों का नरितर अतिक्रमण:
 - झील, तालाब और नदियों जैसे छोटे जल निकाय (small water bodies- SWMs) उनके जलग्रहण क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण का वसितार हो रहा है, लोग इन जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में और उसके आसपास घर, वाणिज्यिक भवन और अन्य अवसंरचना का नरिमाण कर रहे हैं।
 - 1990 के दशक से उभरे शहरी समुच्चय ने SWMs को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उनमें से कई को 'डंपिं ग्राउंड' या कूड़ा-स्थल में बदल दिया है। जल संसाधन पर स्थायी समति(2012-13) ने अपनी 16वीं रपोर्ट में रेखांकित किया कि दिशा के अधिकांश जल निकायों पर स्वयं राज्य एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

जल संकट को कम करने के लिये आवश्यक वभिन्न कदम क्या होंगे?

- पारंपरकी और नई प्रौद्योगिकियों के विकापूरण मशिरण को अपनाना:
 - भारत में खाद्यानन की बड़ी मात्रा वर्षा-सचिति क्षेत्र से प्राप्त होती है। सरकार 'मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जल के संरक्षण के लिये पारंपरकी स्वदेशी और नई प्रौद्योगिकियों के विकापूरण मशिरण' पर बल देती है और जल की प्रत्येक बूँद के कुशल उपयोग पर ज़ोर देती है। इसलिये इन बढ़िओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
- गुणवत्ता और मात्रा, दोनों पर बल देना:
 - मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में जल की उपलब्धता बढ़ाना और नीले जल (सतह जल एवं भूजल) एवं हरे जल (मृदा में नमी) दोनों संसाधनों पर विचार करना महत्वपूरण है। ऐसा इसलिये है क्योंकि जल केवल बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा और भी बहुत कुछ के लिये आवश्यक है। जल शांति-नरिमाण का एक साधन भी है और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। संवहनीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चिति करना और प्रयावरणीय अखंडता बनाए रखना तेज़ी से महत्वपूरण मुद्दे बनते जा रहे हैं।
- वभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाना:
 - सामान्य रूप से वभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों और वर्षा जल संचयन (स्व-स्थाने एवं बाह्य-स्थाने) को अपनाकर तथा विशेष रूप से छत के ऊपर वर्षा जल संचयन सुनिश्चिति कर जल संकट का शमन संभव बनाया जा सकता है।
 - वर्षा जल संचयन (Rain water harvesting- RWH) पुनर्भरण को बढ़ाकर और सचिवाई में सहायता कर जल की कमी एवं सूखे के विरुद्ध प्रत्यास्थाता को सक्षम बनाता है। बड़े पैमाने के RWH संरचनाओं द्वारा सतह जल का इष्टतम उपयोग, भूजल के साथ संयुक्त उपयोग और अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुनः उपयोग खाद्यानन उत्पादन के वरतमान स्तर के बढ़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के लिये एकमात्र व्यवहार्य समाधान है।
- जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता:
 - तालाबों/जलस्रोतों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं से नपिटने के लिये प्रत्येक जलाशय की स्थिति, उसकी जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता और उसके द्वारा समर्थित पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थितिकी अध्ययन करने की महती आवश्यकता है। प्रत्येक जल निकाय के जलग्रहण-भंडारण-कमांड क्षेत्र पर ध्यान देकर प्रत्येक गाँव में और अधिक जल निकायों का नरिमाण करने तथा पहले से मौजूद जल निकायों का पुनरुद्धार करने की भी आवश्यकता है।
- राष्ट्रदर्शों के बीच सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देना:
 - जलवायु परवर्तन से संबंधित अतिरिक्त दबावों के बीच, दुनिया को जल-बँटवारे पर बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के लिये सार्वभौमिक सदिधांतों को अपनाने की ज़रूरत है। वशिव साझा जल के उपयोग को नियंत्रित कर और जल के नरितर उपयोग को प्रोत्साहित कर बेहतर जल कृष्टनीतिके लिये प्रयास कर सकता है जहाँ जल को शांति के लिये एक हथियार बनाया जा सकता है।

- यह साझा मान्यता के गुणवत्ता एवं उपलब्धता की सीमाओं के साथ जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, राष्ट्रों के बीच प्रभावी एवं न्यायसंगत जल आवंटन सुनिश्चित करने, कषेत्रीय स्थरिता एवं शांतिको बढ़ावा देने और जल, जलवायु एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थरिता के बीच जटिल संबंधों की समझ सुनिश्चित करने के लिये सहयोगी शासन की आवश्यकता है।
- समावेशी दृष्टिकोण अपनाना:
 - जल कूटनीति के लिये समावेशी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जहाँ स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों के व्यापक सीमा-पार नेटवर्क को चहिनति करने के साथ-साथ नागरिक समाज एवं शैक्षिक जगत नेटवर्क को संलग्न करना शामिल है, जो जल संबंधी विवाद को रोकने, इसे कम करने और इसका समाधान करने के लिये राजनीतिक प्रक्रयाओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिं सकते हैं।
- ग्रामीण मुददों को संबोधित करना और नविश को बढ़ावा देना:
 - भारत में, जहाँ कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत बनी हुई है, 70% ग्रामीण आबादी अपने भरण-पोषण के लिये जल पर निरिभर है। यह और भी अधिक चिताजनक है क्योंकि हिम जानते हैं कविशिव स्तर पर मीठे जल के कुल उपयोग का 70% कृषि में व्यय होता है।
 - बेहतर जल पहुँच के साथ इन अंतरों को मटिया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल नविश में वृद्धि से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक पराणिम प्राप्त होने की संभावना है, जबकि बुनियादी मानवीय ज़रूरतों और गरमी के लिये तो यह अनविराय है ही।
- कृषि क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देना:
 - कृषि क्षेत्र में, जल के संरक्षण में उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग—फसल और खाद्य नुकसान से नपिटने और लेकर रसायनों एवं उरवरकों का प्रयोग कम करने और जल की बचत करने तक—यह दिखाने लगा है कि इससे उत्पादक एवं संवर्धनीय आउटपुट को सक्षम किया जा सकता है।
- सीमा-पार नदियों के मुददों का समाधान:
 - भारत सहति विशिव के मीठे जल के संसाधनों का एक बड़ा हसिसा सीमा-पार जल से प्राप्त होता है। भारत के विशाल भूभाग के साथ यहाँ लंबी नदियों का एक नेटवर्क मौजूद है, जो न केवल देश की आवश्यकताओं की पूरता करता है बल्कि इसके पड़ोसी देशों के साथ भी साझा होता है।
 - लेकिन दक्षिण एशियाई भूभाग में हाल के वर्षों में, विशेषकर मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और संधि नदियों में, जल प्रदूषण की स्थिति व्यापक रूप से बगड़ गई है।
 - इन समस्याओं को हल करने के लिये, विशिव को सीमा-पार जल प्रशासन के एक परिकृत रूप की आवश्यकता है, जो जल संसाधनों को साझा करने वाले देशों के बीच प्रभावी एवं न्यायसंगत जल आवंटन को बढ़ावा दे।
- छोटे जल नकियों का रखरखाव:
 - भारत में तालाबों, झीलों और जलकुंडों जैसे छोटे जल नकियों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है, जो भूजल के पुनर्भरण और सचिराई के लिये जल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं। 5वीं लघु सचिराई गणना में उल्लेख किया गया है कि भारत में कुल 6.42 लाख छोटे जल नकिय मौजूद हैं। उचित रखरखाव के अभाव में इनकी भंडारण क्षमता में गरिवट आ रही है।
 - इसके पराणिमस्वरूप, तालाबों/जलकुंडों द्वारा सचिति क्षेत्र वर्ष 1960-61 में 45.61 लाख हेक्टेयर से तेज़ी से घटकर 2019-20 में 16.68 लाख हेक्टेयर रह गया है। भारत इन छोटे जल नकियों का पुनरुद्धार एवं रखरखाव सुनिश्चित कर जल संरक्षण में मदद कर सकता है और आस-पास के समुदायों के लिये जल की उपलब्धता की स्थिति में सुधार कर सकता है।
- बहु-आयामी हस्तक्षेप अपनाना:
 - नमिनलखित समाधानों से विशिव जल दिवस 2024 की 'थीम' को संशक्त किया जा सकता है और भारत जल सुरक्षित देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र जल विकास अधिकारी 2024 के अनुसार ये अधिक शांतप्रीरण विशिव के निरिमाण के लिये भी आवश्यक कदम होंगे:
 - जल उपयोग का मूल्य निर्धारण;
 - चक्रीय जल अरथव्यवस्था का निरिमाण करना;
 - सूक्ष्म सचिराई पराणिमयों और IoT आधारित स्वचालन के साथ जल संसाधनों को एकीकृत करने जैसी कुशल सचिराई तकनीकों को सुनिश्चित करना; एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का होना;
 - घरेलू उद्देश्यों के लिये जल के उपयोग को कम करने के लिये जल मीटर लगाना;
 - कोई मुफ्त बजिली नहीं; लाइन विभागों का अभसिरण और लकिंज;
 - सामुदायिक जागरूकता और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता अभियान;
 - भूजल उपयोग टट्स्थिता सुनिश्चित करना;
 - भूमतिट्स्थिता; जल की कम आवश्यकता रखने वाली फसलें उगाना;
 - एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल वाली इष्टतम फसल योजना;
 - जलवायु परविरतन के विद्युद्ध परत्यास्थिता का निरिमाण और जल (जो कि एक सीमित संसाधन है) के प्रबंधन के लिये एक एकीकृत एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर बढ़ती आबादी की ज़रूरतों की पूरता करना;
 - जल वितरण प्रणालयों में होने वाली जल हानिको कम करना और सुरक्षित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, अलवणीकरण एवं उचित जल आवंटन; ट्यूबवेल/बोरवेल का विकास सुनिश्चित करना;
 - विभिन्न उन्नत एवं नई प्रौद्योगिकियों को प्रवर्तित करने के लिये अनुसंधान, उद्योग एवं शिक्षा जगत के एकीकरण और सहयोग को सक्षम करना।

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- जल संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र की पहलें:
 - संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन (1977), अंतर्राष्ट्रीय प्रेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1981-1990), जल एवं प्रयावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1992) और पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992)—ये सभी एक महत्वपूर्ण संसाधन जल पर केंद्रिति थे।
 - 'जीवन के लिये जल' अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक 2005-2015 ('Water for Life' International Decade for Action 2005-2015) ने विकासशील देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोगों को सुरक्षित प्रेयजल तक पहुँच प्राप्त करने में मदद की और सहस्राब्दी

- विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) को पूरा करने के प्रयास के एक अंग के रूप में स्वच्छता को बढ़ावा दिया।
- इस क्रम में नवीनतम पहल 'सतत विकास के लिये 2030 का एजेंडा' (2030 Agenda for Sustainable Development) है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल की उपलब्धता एवं संवर्हनीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

■ भारतीय पहलें:

- स्वच्छ भारत मरिन
- जल जीवन मरिन
- जल कर्त्तव्य अभियान
- राष्ट्रीय जल मरिन
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- जल शक्ति अभियान
- अटल भूजल योजना।
- राष्ट्रीय जल नीति, 2012
- प्रधानमंत्री कृषि संचार योजना
- प्रति बूंद अधिकि फसल

निष्कर्ष:

प्राचीन काल से ही विश्व ने शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयत्न की है; हालाँकि, यदि भी जल की कमी हो जाती है तो यह हमारे सामूहिक हति एवं शांति के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है। यह 2030 एजेंडा और SDGs की प्राप्ति के लिये भी महत्वपूर्ण है। विश्व जल के संवर्हनीय प्रबंधन पर सीमा-पार सहयोग एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर, रोजगार, आरथिक विकास और पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लाभ का अनुभव कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: जल संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में विश्व जल दिवस के महत्व की चर्चा कीजिये। जल संरक्षण प्रयासों में व्यक्तिगत स्तर पर कौसि प्रकार योगदान दिया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न 2. 'वाटर क्रेडिट' (WaterCredit) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2021)

- यह जल और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य करने के लिये माइक्रोफाइनेंस टूल का इस्तेमाल करता है।
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्त्वावधान में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है।
- इसका उद्देश्य गरीब लोगों को सबसिडी पर निभाव हुए बनाना उनकी जल की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न:

प्रश्न 1 जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? (वर्ष 2020)

प्रश्न 2. घटते जल-प्रदृश्य को देखते हुए जल भंडारण और संचार प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएँ ताकि इसका विकास पूर्ण उपयोग किया जा सके। (वर्ष 2020)

